

न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.
 (आप.प्रक.क. : — 105/2017)
 (संस्थित दिनांक :- 21/03/17)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मालनपुर।

जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन

// विरुद्ध //

01. राकेश सेन पुत्र रामकिशन सेन, उम्र 40 वर्ष।

निवासी :- गोल पहाड़िया तिघरा रोड़ बजरंग कॉलौनी ग्वालियर,

थाना :- जनकगंज, जिला-ग्वालियर, (म.प्र.)।

..... अभियुक्त।

// निर्णय //

(आज दिनांक :- 12/09/2017 को घोषित)

01. आरोपी राकेश सेन पर धारा : 279, 337 एवं 304 ए भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी ने दिनांक :- 27/01/2017 को दोपहर लगभग 04:45 बजे तुकेड़ा पेट्रोल पम्प के पास भिण्ड-ग्वालियर लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन कार क्रमांक एम.पी.07/सी.डी./8395 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, तथा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर आहत विनोद को टक्कर मारकर उसे उपहति कारित की एवं मृतक रामलखन को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं हैं।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि थाना गोले के मंदिर पर फरियादी विनोद अ.सा.01 द्वारा दिनांक : 27/01/2017 को दोपहर लगभग 04:45 बजे तुकेड़ा पेट्रोल पम्प के पास भिण्ड-ग्वालियर लोकमार्ग पर, किसी अज्ञात वाहन के चालक द्वारा उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर उसे टक्कर मारकर उपहति एवं उसके जीजा मृतक रामलखन को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित करने की अकाल मृत्यु की सूचना दिनांक : 28/01/2017 को थाना गोले के मंदिर पर दी जाने पर, थाना गोला के मंदिर में मार्ग क्रमांक 02/2017 अन्तर्गत धारा 174 द.प्र.सं. पंजीबद्ध की गई। दिनांक :- 01/02/2017 को थाना गोले के मंदिर के आरक्षक क्रमांक 759

धर्मेन्द्र सिंह ने थाना गोले के मंदिर के मर्ग क्रमांक 02/2017 अन्तर्गत धारा 174 द.प्र. सं. की मर्ग डायरी असल कायमी हेतु थाना मालनपुर लाकर प्रस्तुत की, जिस पर से थाना मालनपुर में रोजनामचा प्रविष्टि की गई। मूल मर्ग पंजीबद्ध कर मर्ग जांच की गई। मर्ग जांच के दौरान विनोद एवं प्रदीप के कथन लेखबद्ध किये गये, मर्ग जांच पूर्णकर वाहन क्रमांक एम.पी.07/सी.डी./8395 के चालक के विरुद्ध उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चलाकर विनोद को उपहति एवं रामलखन की मृत्यु कारित करने के संबंध में थाना मालनपुर में अपराध क्रमांक 14/2017 अन्तर्गत धारा 279, 337 एवं 304 ए भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपी राकेश सेन को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी द्वारा पेश करने पर वाहन क्रमांक एम.पी.07/सी.डी./8395 मय दस्तावेज की छायाप्रतियाँ जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। जब्तशुदा वाहन के पंजीकृत स्वामी एस.आर.विश्वनाथन का प्रमाणीकरण लेखबद्ध किया गया। फरियादी विनोद, साक्षीगण नवीन कौरव एवं प्रदीप सिंह के कथन लेखबद्ध किए गये। तदोपरांत विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त राकेश के विरुद्ध धारा 279, 337 एवं 304 ए भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 द.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी राकेश ने दिनांक :- 27/01/2017 को दोपहर लगभग 04:45 बजे तुकेड़ा पेट्रोल पम्प के पास भिण्ड-ग्वालियर लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन कार क्रमांक एम.पी.07/सी.डी./8395 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर आहत विनोद को टक्कर मारकर उसे उपहति कारित की?

03. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मृतक रामलखन को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है?

04. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु क्रमांक :- 01 लगायत 03

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी/आहत विनोद कौरव अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 27/01/2017 के शाम 04:45 बजे की तुकेड़ा पेट्रोल पम्प के पास भिण्ड-ग्वालियर रोड़ मालनपुर की है। उस समय वह, अपने जीजा रामलखन के साथ मोटर साईकिल से ग्वालियर से ग्राम कंचनपुर की ओर जा रहे थे। जब वह तुकेड़ा पेट्रोल पम्प के पास पहुँचे, तभी भिण्ड की तरफ से एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर क्रमांक एम.पी.07/सी.डी./8395 के चालक ने उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चलाकर उनकी मोटर साईकिल में टक्कर मार दी थी। साक्षी आगे कहता है कि टक्कर लगने से उसके एवं उसके जीजा जी गिर पड़े और उसके दाहिने हाथ में एवं उसके जीजा रामलखन के दाहिने पैर में चोट आई थी। साक्षी आगे कहता है कि उसने टक्कर मारने वाली कार का नम्बर कागज पर लिख लिया और 100 नम्बर को फोन किया। टक्कर मारने वाला वाहन घटनास्थल पर रुका नहीं था, वह वहाँ से चला गया था। घटना के लगभग आधा घण्टे बाद पुलिस 100 नम्बर के वाहन में घटनास्थल पर आ गई। उसके बाद पुलिस वाले उनको दुर्घटनास्थल से सीधे बिरला हॉस्पिटल ले गये थे और उसे तथा उसके जीजा को बिरला हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया था। साक्षी आगे कहता है कि ईलाज के दौरान दिनांक : 28/01/2017 को जीजा रामलखन की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद वह एवं उसके मामा प्रदीप सिंह कौरव घटना की सूचना देने थाना गोले का मंदिर गये। साक्षी आगे कहता है कि वह लोग सुबह साढ़े आठ बजे थाना गोले का मंदिर गये थे, जहाँ पर उसके द्वारा दी गई अकाल मृत्यु की सूचना प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। रिपोर्ट दर्ज होने के दो-तीन दिन बाद थाना मालनपुर की पुलिस उसे घटनास्थल पर ले गई, जहाँ उसके सामने पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटनास्थल नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसने दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के चालक को नहीं देखा था। पुलिस ने संबंध में पूछताछ कर उसका बयान लिया था।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में विनोद अ.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि उसने थाना गोला के मंदिर पर की गई अकाल मृत्यु की सूचना प्र.पी.01 में दुर्घटनाकारित करने वाले स्विफ्ट डिजायर कार का नम्बर नहीं लिखाया था, क्योंकि जिस पर्ची पर उसने दुर्घटनाकारित करने वाले कार का नम्बर नोट किया था, वह पर्ची 100 नम्बर वाले पुलिस वाहन के पुलिसकर्मियों के पास रह गई थी। उल्लेखनीय है कि उक्त अकाल मृत्यु की सूचना प्र.पी.01 में ना तो कथित रूप से दुर्घटनाकारित करने वाले कार का क्रमांक अंकित है, ना ही उसमें उक्त कार का मॉडल स्विफ्ट डिजायर होना अंकित है। इसलिए फरियादी विनोद अ.सा.01 द्वारा दर्शित यह स्पष्टीकरण सत्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि उसकी कोई दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन का नम्बर लिखी कोई पर्ची खो जाने के कारण उसके द्वारा प्र.पी.01 में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन का नम्बर नहीं लिखा सका। विनोद अ.सा.01 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि उसे उक्त पर्ची पुलिस के 100 नम्बर वाहन से पुनः प्राप्त हो गई थी या उसे कालान्तर में पुनः यह कैसे ज्ञात हुआ कि दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन का नम्बर एम.पी.07/सी.डी./8395 वहीं है, जो उसके द्वारा पर्ची पर लिख लिया गया था। इस प्रकार आरोपित दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के रूप में कार क्रमांक एम.पी.07/सी.डी./8395 की पहचान के संबंध में फरियादी विनोद अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य सत्य प्रतीत नहीं होता।

10. मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 02 में विनोद अ.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि उसने दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के चालक को नहीं देखा था। इस प्रकार आरोपी दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी राकेश सेन की पहचान के संबंध में कोई तथ्य विनोद अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दर्शित नहीं हुये है।

11. साक्षी नवीन कौरव अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 27/01/2017 के शाम 04:45 बजे की बाराहेड़ पेड़ा के पहले पेट्रोल पम्प के पास भिण्ड-ग्वालियर रोड़ मालनपुर की है। उस समय वह अकेला सामान लेकर अपनी मोटर साईकिल से मालनपुर से ग्राम कंचनपुर की ओर जा रहा था, तभी उसके आगे एक मोटर साईकिल चल रही थी, जिस पर विनोद एवं रामलखन सवार थे। साक्षी आगे कहता है कि तभी भिण्ड की तरफ से एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर क्रमांक एम.पी.07/सी.डी./8395 के चालक ने उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक गलत दिशा में चलाकर विनोद एवं रामलखन की मोटर साईकिल में टक्कर मार दी। साक्षी आगे कहता है कि टक्कर लगने से विनोद एवं रामलखन गिर पड़े और घायल हो गये थे। विनोद के दाहिने हाथ में एवं रामलखन के दाहिने पैर में गंभीर चोट थी। साक्षी आगे कहता है कि उसके बाद विनोद ने 100 नम्बर को फोन कर पुलिस को बुलाया। टक्कर मारने वाला वाहन घटनास्थल पर रुका नहीं था, वह वहाँ

से चला गया था। घटना के लगभग दस मिनट बाद पुलिस 100 नम्बर के वाहन में दुर्घटनास्थल पर आ गई। उसके बाद पुलिस वाले विनोद एवं रामलखन को दुर्घटनास्थल से सीधे बिरला हॉस्पिटल ले गये थे। साक्षी आगे कहता है कि वह अपनी मोटर साईकिल से पीछे-पीछे बिरला हॉस्पिटल गया था। ईलाज के दौरान दिनांक : 28/01/2017 को जीजा रामलखन की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद रामलखन के शव को पोस्टमार्टम के लिए जे.एच.ग्वालियर भेजा गया। जहाँ पर पुलिस द्वारा उसे मृत्यु जांच में उपस्थित होने का दिया गया नोटिस प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने द्वारा बनाये गये शव पंचनामा प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसने दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के चालक को नहीं देखा था। पुलिस ने संबंध में पूछताछ कर उसका बयान लिया था।

12. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में नवीन अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को यह बताया था कि विनोद अ.सा. 01 द्वारा दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर वह दुर्घटनास्थल पर पहुँचा था। साक्षी ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि जब वह दुर्घटनास्थल पर पहुँचा, तब विनोद एवं रामलखन दुर्घटनास्थल पर पड़े हुये थे। साक्षी ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसे विनोद एवं रामलखन द्वारा बताया गया था कि उन्हें एक गाड़ी टक्कर मार गई थी। इस प्रकार प्रति-परीक्षण में दर्शित उक्त तथ्यों से नवीन अ. सा.02 घटना का चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर अनुश्रुत साक्षी होना दर्शित होता है, जिसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

13. साक्षी प्रदीप कौरव अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि दिनांक : 27/01/2017 को शाम 05:50 बजे के लगभग उसे विनोद ने फोन करके बताया कि मामा हमारा तुकेड़ा पेट्रोल पम्प भिण्ड-ग्वालियर रोड़ मालनपुर पर एक्सीडेंट हो गया है। साक्षी आगे कहता है कि विनोद ने उसे बताया था कि रामलखन जीजा जी को दाहिने पैर में गंभीर चोटें आई हैं, विनोद ने उसे बताया कि उसके भी दाहिने हाथ में गंभीर चोट आई है। विनोद ने उसे यह भी बताया कि भिण्ड की ओर से एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर क्रमांक एम.पी.07/सी.डी./8395 के चालक ने टक्कर मारी थी और टक्कर मारकर वह ग्वालियर की तरफ भाग गया था। साक्षी आगे कहता है कि विनोद ने उसे यह भी बताया कि हम 100 नम्बर वाहन से बिरला हॉस्पिटल जा रहे हैं, तब वह भी बिरला हॉस्पिटल पहुँच गया था। साक्षी आगे कहता है कि ईलाज के दौरान दिनांक : 28/01/2017 को रामलखन की मृत्यु हो गई थी। रामलखन की मृत्यु के पश्चात् वह एवं विनोद थाना गोला का मंदिर पहुँचे, जहाँ उसने पुलिस को दुर्घटना में रामलखन की मृत्यु की सूचना दी थी, उसके पश्चात् पुलिस हॉस्पिटल आई और उन्होंने लिखा-पढ़ी की। उसके बाद रामलखन के शव को पोस्टमार्टम के लिए जे.एच.ग्वालियर भेजा गया। जहाँ पर पुलिस द्वारा उसे मृत्यु जांच में उपस्थित होने का

दिया गया नोटिस प्र.पी.03 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने द्वारा बनाये गये शव पंचनामा प्र.पी.04 है, जिसके बी से बी भाग उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसे रामलखन का शव सुपुर्दकर सुपुर्दगीनामा प्र.पी.05 बनाया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसका बयान लिया था।

14. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में प्रदीप अ.सा.03 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि दुर्घटना के समय वह दुर्घटनास्थल पर नहीं था और उसने यह नहीं देखा था कि दुर्घटनाकारित करने वाला वाहन कैसे चल रहा था। साक्षी प्रदीप अ.सा.03 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसने दुर्घटनाकारित करने वाला वाहन कौन चला रहा था, यह भी नहीं देखा था। इस प्रकार प्रति-परीक्षण में दर्शित उक्त तथ्यों से प्रदीप अ.सा.03 घटना का चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर अनुश्रुत साक्षी होना दर्शित होता है, जिसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

15. अभियोजन साक्षी एस.आर.विश्वनाथन अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी राकेश को जानता है। वह कार स्विफ्ट क्रमांक एम.पी. 07/सी.डी./8395 का पंजीकृत स्वामी है। साक्षी आगे कहता है कि पुलिस ने उसकी कार को जब्त कर लिया था, जिसे उसके द्वारा न्यायालय से सुपुर्दगी पर लिया गया था। साक्षी को प्रमाणीकरण प्र.पी.06 का दस्तावेज दिखाकर पूछे जाने पर साक्षी ने उक्त दस्तावेज के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर होना दर्शित किया। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी एस.आर.विश्वनाथन अ.सा. 04 ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि दिनांक : 27/01/2017 को उसकी कार स्विफ्ट डिजायर क्रमांक एम.पी.07/सी.डी./8395 पर चालक के रूप में आरोपी राकेश कार्यरत था। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को भी अस्वीकार किया है कि आरोपी ने उसे उक्त कार से एक्सीडेंट हो जाने की सूचना दी थी एवं उसने उक्त जानकारी के आधार पर प्रमाणीकर दिया था। साक्षी ने इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि वह आरोपी को बचाने के लिए आज न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। इस प्रकार साक्षी एस.आर.विश्वनाथन अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से भी ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये हैं जो आरोपित घटना में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी राकेश की पहचान को दर्शित करते हो।

16. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी राकेश ने दिनांक :- 27/01/2017 को दोपहर लगभग 04:45 बजे तुकेड़ा पेट्रोल पम्प के पास भिण्ड-ग्वालियर लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन कार क्रमांक एम.पी.07/सी.

डी./8395 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, तथा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर आहत विनोद को टक्कर मारकर उसे उपहति कारित की एवं मृतक रामलखन को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

अंतिम निष्कर्ष

17. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी राकेश के विरुद्ध धारा 279, 337 एवं 304 ए भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी राकेश को धारा 279, 337 एवं 304 ए भा.द.सं. के आरोप से संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया जाता है।

18. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। प्रतिभू को स्वतंत्र किया जाता है।

19. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन कार क्रमांक एम.पी.07/सी.डी./8395 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी एस.आर.विश्वनाथन के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगीनामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद